संख्या : ०8–दो(2)/XXXVI(2)/2013–8–दो(2)/13

प्रेषक,

मनीष मिश्र,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग – 2

देहरादून : दिनांक : २१ सितम्बर, 2013

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में ग्लैनथोर्न परिसर में (होटल पैवेलियन के पीछे) शैल्टर होम एवं पार्किंग आदि के निर्माण कार्य (प्रथम चरण) हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–No.4064/ U.H.C./ Admn.B/IX-a /2013, दिनांकः 30.07.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में ग्लैनथोर्न परिसर में (होटल पैवेलियन के पीछे) शैल्टर होम एवं पार्किंग आदि के निर्माण कार्य **(प्रथम चरण)** हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, नैनीताल द्वारा गठित आगणन ₹ 3.11 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1.96 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार Provision for development charges of L.D.A. की धनराशि ₹ 0.86 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 2.82 लाख (₹ दो लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 मे उक्त धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.3.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(6) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा–शीर्षक "4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–60– अन्य भवन–051–निर्माण–03–न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण–00–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अशासकीय संख्या–54/P/XXVII(5)/2013–14, दिनांकः 12 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित् व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट कम्प्यूटरीकृत आधार पर आबंटित किये जाने हेतु संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-S1309040058, दिनांक–18 सितम्बर, 2013 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव ।

संख्या– 08 –दो(2)/XXXVI(2)/2013–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
4. नियोजन विभाग,/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन ।
5. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Law (S029)

आवंटन पत्र संख्या - Law-2

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - S1309040058

HOD Name - Registrar,Hon'ble High Court (4029)

आवंटन पत्र दिनांक -18-Sep-2013

1: लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

00 - न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण 03 - न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण / भूमि क्रय (7

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	24935000	282000	25217000
	24935000	**282000**	**25217000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 282000